



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग-8)



(दूरभाष 0141-2227229, Email Id : pdme2k.rdd@ rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/अनु-8/वीसी/2022/402

जयपुर, दिनांक :- 8-11-2022

वी.सी/बैठक सूचना


माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2022 को दोपहर 02.30 से सायं 6 बजे तक ग्रामीण विकास के समिति कक्ष, उत्तर-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, से समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी) NIC के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा की जावेगी।

समीक्षा बैठक में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. शासन सचिव, ग्रावि एवं स्टेट मिशन निदेशक राजीविका।
3. शासन सचिव, पंचायती राज।
4. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. निदेशक, पंचायती राज।
6. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
7. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायोफ्यूल प्राधिकरण।
9. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।

वी.सी एजेण्डा :-

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति पर चर्चा।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति पर चर्चा।
3. राजीविका की प्रगति पर चर्चा।
4. विधायक/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास, डांग/मगरा/मेवात योजनाओं में अर्जित भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं लम्बित यूसी/सीसी पर चर्चा।
5. पंचायती राज योजनाओं यथा पन्द्रहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एवं स्वामित्व योजना
6. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
7. जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा।

  
(मिजू सेजपाल)  
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि एवं स्टेट मिशन निदेशक राजीविका। ।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज।
- 6 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 7 निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज।
- 8 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
- 9 निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण।
- 10 निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायोफ्यूल प्राधिकरण।
- 11 उप शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास।
- 12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
- 13 परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, (एसएपी/मो0एवंमू0), ग्रामीण विकास।
- 14 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज।
- 15 परियोजना निदेशक (प्रशासन), राजीविका।
- 16 संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायती राज।
- 17 अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण।
- 18 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) को वी.सी. हेतु स्लोट आरक्षित करने हेतु।
- 19 उप निदेशक/सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस/पंचायती राज।
- 20 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रावि को बैठक स्थान एवं जलपान की व्यवस्थार्थ।
- 21 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट [www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।



परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव  
(मो. एवं मू)